

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आदेश सं.- 8/ज.सं.(नि.)विविध-15-04/2014 (खण्ड):- /राँची, दिनांक:-

आदेश

श्री विमल कुमार झा (आई. डी.- 3832) सहायक अभियंता, की सेवा नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं. 7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा जल पथ अवर प्रमण्डल- 3, गढ़वा, शिविर नगर उटारी में पदस्थपित किया गया था। श्री झा द्वारा सरकारी/ स्थानान्तरण आदेश का ससमय अनुपालन नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2710 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2. श्री झा से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई सम्यक समीक्षोपरांत श्री झा को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया :-

(1) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

1750

/

राँची, दिनांक:-

15-4-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, राँची/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/ संयुक्त सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, नहर एवं नहर संरचना, रूपांकण अंचल, राँची/श्री विमल कुमार झा, सहायक अभियंता, नहर एवं नहर संरचना, रूपांकण अंचल, राँची/ विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

13.4.15